



2026:AHC:65474

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या- 1258 वर्ष 2026

फाइव फिंगर्स एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता

बनाम

लोहिया कॉर्प लिमिटेड और एक अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री अनिल भूषण (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री अभिषेक भूषण, श्री शशांक मिश्रा, श्री हिमांशु सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: श्री नवीन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री तरुण अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री निपुण सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री देवांश मिश्रा, श्री आयुष शर्मा, श्री सजल अवस्थी, श्री सुमित सूरी और श्री अनूप शुक्ला

न्यायालय सं - 7

माननीय न्यायमूर्ति श्री पीयूष अग्रवाल

1. याचिकाकर्ता के लिए श्री अभिषेक भूषण, श्री शशांक मिश्रा, श्री हिमांशु सिंह और प्रतिपक्षी के लिए श्री नवीन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री तरुण अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री निपुण सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री निपुण सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री देवांश मिश्रा, श्री आयुष शर्मा, श्री सजल अवस्थी, श्री सुमित सूरी और श्री अनूप शुक्ला द्वारा सहायता प्रदान की गई।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना कर रहा है: -

1. "मूल वाद संख्या-2 वर्ष 2026 (याचिका के अनुलग्नक संख्या-5) में वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी द्वारा पारित दिनांक 13.01.2026 और 14.01.2026 के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करना।



2. वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी के समक्ष लंबित मूल वाद संख्या-2 वर्ष 2026 (लोहिया कॉर्प यू. फाइव फिंगर्स एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य) की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करना।
3. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल भूषण ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-कंपनी की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और 448, वेल्लालोर रोड, सिंगनल्लूर, कोयंबटूर -641005, तमिलनाडु, भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय होने के साथ व्यापार में लगी हुई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कंपनी को 06.07.2020 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में एमएसएमई इंडिया और एक पंजीकृत स्टार्ट अप के रूप में पंजीकृत एक छोटी माइक्रो कंपनी के रूप में शामिल किया गया है और 2020 से अपना विनिर्माण व्यवसाय शुरू किया है।
4. वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता कंपनी बुना हुआ बैग, गैर-बुना बैग, कपड़े उत्पादन, पुआल बनाने, फ्लेक्सो रोल और बैग प्रिंटिंग मशीन बनाने में माहिर है और गुणवत्ता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, और दुनिया भर में व्यापक औद्योगिक समाधान प्रदान करती है। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी टर्नकी परियोजनाओं को चलाती है, जिसमें पीपी स्पन बॉन्ड गैर-बुना उत्पादन लाइनें, पीपी बुना बैग रूपांतरण लाइनें, और टेट्रा पैक उत्पादन इकाइयों के लिए पीने की भूसा बनाने की परियोजनाएं शामिल हैं। जून 2022 में, भारत में पहली हाई-स्पीड पेपर स्ट्रॉ मशीन और यू-आकार का स्ट्रॉ निर्माण सेटअप लॉन्च किया, जो 45 से अधिक इकाइयों को आपूर्ति करता है और देश में स्ट्रॉ डिवीजन का नेतृत्व करता है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने उन्नत बीसीएस लाइनर इंसर्शन मशीन भी लॉन्च की है, जिसमें 8 नई विशेषताएं हैं जो उद्योग की सभी चुनौतियों का समाधान करती हैं। यह 40% अधिक उत्पादकता और 90% कम बर्बादी प्रदान करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-कंपनी प्रीमियम पीपी बुना बैग बनाने की मशीनों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है, जिनमें से कुछ -बीसीएस लाइनर इंसर्शन मशीन, हेमिंग के साथ बीसीएस लाइनर इंसर्शन मशीन, गसेट वाल्व बैग बनाने की मशीन, शीट फेड लाइनर इंसर्शन मशीन, पिंच बॉटम सीलर मशीन और हेमिंग मशीन हैं।



5. वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी संख्या-1/वादी, लोहिया कॉर्प खुद को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनी मानती है और चार दशकों में बुने हुए प्लास्टिक के लिए मशीनों में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है और यह भारत और विदेशों में स्थित अपने विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से दुनिया भर में प्लास्टिक बुने हुए कपड़े उद्योग के लिए एंड-टू-एंड मशीनरी समाधान प्रदान करती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी -1 ने 03.02.2015 को पेटेंट "ए डिवाइस एंड ए मेथड फॉर कंट्रोल द मोशन ऑफ ए स्प्रेडरबार" के लिए आवेदन किया है, जिसे 03.02.2023 को सूट पेटेंट संख्या-4310032 के रूप में प्रदान किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी संख्या-1 ने 13.1.2026 को वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी के समक्ष मूल वाद संख्या-2 वर्ष 2026 (लोहिया कॉर्प बनाम फाइव फिंगर्स एंड अन्य) की स्थापना की है और उसी दिन मुनसारीम से एक रिपोर्ट मांगी गई है और धारा 12 ए के तहत आवेदन 8 सी को दिनांक 13.1.2026 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, जिसके द्वारा वादी/प्रतिपक्षी संख्या-1 को अनिवार्य पूर्व-संस्थान मध्यस्थता से छूट दी गई थी।

6. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश द्वारा, वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया है और वादपत्र में लगाए गए आरोप के आधार पर एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी है, यह देखते हुए कि वादी के पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन है और इस तरह याचिकाकर्ता को वाल्व बैग रूपांतरण मशीन या किसी अन्य मशीन का उपयोग करने से रोक दिया गया है, या तो स्वयं या किसी भी प्रतिनिधि, कर्मचारी, वितरक, ग्राहक, स्टॉकीस्ट या एजेंट के माध्यम से प्राधिकरण के बिना निर्मित, चिह्नित, बिक्री या उपयोग किया जा सकता है, न ही उक्त मशीन का कोई भी हिस्सा प्राधिकरण के बिना निर्मित, बेचा या उपयोग किया जाएगा।

7. वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-प्रतिपक्षी की कंपनी जिला में स्थित है। कोयम्बटोर, तमिलनाडु राज्य, इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी के पास याचिकाकर्ता को निषेधाज्ञा का नोटिस जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 12 ए के तहत अनिवार्य पूर्व-संस्थान मध्यस्थता की छूट के लिए कोई कारण दर्ज किए बिना, अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।



8. वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए कोई सामग्री अभिलेखों पर नहीं लाई गई है क्योंकि एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने की कोई तात्कालिकता नहीं थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आदेश 39, नियम 3 सी.पी.सी. के मददेनजर, न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए अनिवार्य आवश्यकता को दर्ज करने में विफल रहा।

9. प्रतिपक्षी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री पर उचित विचार करने पर कानून के अनुसार सख्ती से पारित किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिपक्षी विधिवत रूप से स्वीकृत और स्थायी पेटेंट का धारक है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को दावा-1 के तहत आच्छादित किए गए पेटेंट सुविधाओं को शामिल करने वाली मशीनों का निर्माण और स्थापना करके प्रथम दृष्टया उक्त पेटेंट का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। प्रतिपक्षी के अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले में, विशेष रूप से प्रतिपक्षी की सद्भावना, प्रतिष्ठा और बाजार हिस्सेदारी के लिए उत्पन्न आसन्न खतरे सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के अस्तित्व को ध्यान में रखा है।

10. वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि सी.पी.सी. के आदेश XXXIX नियम 3 के जनादेश का पूर्ण अनुपालन किया गया है, क्योंकि वादी और सहायक सामग्री सहित सभी आवश्यक दस्तावेज याचिकाकर्ता को विधिवत दिए गए थे और इसके सबूत नीचे के न्यायालय के समक्ष अभिलेखों पर लाए गए हैं। इसके अलावा, अधिकार क्षेत्र के सवाल पर, यह तर्क दिया जाता है कि उल्लंघन करने वाली मशीन स्थापित की गई है और प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा वाराणसी में उपयोग की जा रही है, और इस प्रकार, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है। नतीजतन, पेटेंट अधिनियम की धारा 48 सपठित सी.पी.सी. की धारा 20 के तहत क्षेत्राधिकार आकर्षित होता है।

11. वह आगे प्रस्तुत करता है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12A के तहत पूर्व-संस्थान मध्यस्थता की आवश्यकता को प्रस्तुत मामले में विधिवत छूट दी गई है, क्योंकि प्रतिपक्षी को निरंतर उल्लंघन और अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए तत्काल



अंतरिम राहत की आवश्यकता थी। इसलिए, यह याचिका वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 सपठित आदेश XLIII नियम 1 (आर) सी.पी.सी. के तहत अपील के एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है, और केवल इस आधार पर, याचिका खारिज की जानी चाहिए।

12. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, अदालत ने अभिलेखों का अवलोकन किया है।

13. अभिलेखों से पता चलता है कि मुकदमा, निर्दिष्ट मूल्य का एक वाणिज्यिक विवाद होने के नाते, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए की कठोरता को आकर्षित करता है, जो पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता को अनिवार्य करता है, जब तक कि मुकदमा तत्काल अंतरिम राहत पर विचार न करता हो। प्रस्तुत मामले में, वादी-प्रतिपक्षी द्वारा ऐसी किसी भी तात्कालिकता को प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री अभिलेखों पर नहीं रखी गई है ताकि वैधानिक आवश्यकता से छूट प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक न्यायालय भी किसी भी संतुष्टि को दर्ज करने या कारण बताने में विफल रहा है कि मामला धारा 12ए के तहत बनाए गए अपवाद के भीतर कैसे आता है। अनिवार्य पूर्व-शर्त या उससे उचित छूट के अनुपालन के अभाव में अंतरिम निषेधाज्ञा का अनुदान, कार्यवाही को दूषित करता है।

14. क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के पहलू पर, प्रतिपक्षी ने तर्क दिया है कि वाराणसी में प्रतिपक्षी संख्या-2 की उपस्थिति, अधिकार क्षेत्र के भीतर कथित रूप से उल्लंघन करने वाली मशीन की स्थापना और उपयोग, और पेटेंट अधिनियम की धारा 48 सपठित धारा 20 सी.पी.सी. की प्रयोज्यता, वाराणसी में वाणिज्यिक न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। आगे यह तर्क दिया गया है कि क्षेत्राधिकार तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न है। जबकि उक्त सबमिशन का कानूनी महत्व है, यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रथम दृष्टया खुद को संतुष्ट करने के लिए एकपक्षीय आदेश पारित करे। हालाँकि, आक्षेपित आदेश इस महत्वपूर्ण पहलू पर चुप है। क्षेत्राधिकार पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष की अनुपस्थिति भी आदेश को कमजोर बनाती है, खासकर जब इसके परिणामस्वरूप न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के बाहर स्थित किसी पक्ष को प्रतिबंधित किया जाता है।



15. इसके अलावा, दी गई निषेधाज्ञा की प्रकृति महत्व रखती है। आदेश याचिकाकर्ता पर विचाराधीन मशीनों के निर्माण, बिक्री या उनसे निपटने पर पूर्ण रोक लगाता है। इस तरह के व्यापक संयम, विशेष रूप से वाणिज्यिक और पेटेंट मामलों में, दूरगामी नागरिक और आर्थिक परिणाम होते हैं। कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह की प्रकृति के एकपक्षीय निषेधाज्ञा को ठोस और सम्मोहक कारणों को दर्ज करने पर संयम से दिया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश इस आवश्यकता से कम है।

16. जहां तक सी.पी.सी. के आदेश XXXIX नियम 3 के अनुपालन का संबंध है, प्रतिपक्षी का दावा है कि याचिकाकर्ता को सभी आवश्यक दस्तावेज विधिवत दिए गए थे और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उसका प्रमाण दायर किया गया है। हालांकि, कानून के तहत आवश्यकता केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन नहीं है, बल्कि उन कारणों को भी दर्ज करना है कि नोटिस क्यों नहीं दिया जा सकता है। आक्षेपित आदेश किसी भी बाध्यकारी परिस्थिति का खुलासा नहीं करता है जिसके लिए बिना किसी सूचना के निषेधाज्ञा देने की आवश्यकता होती है।

17. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 सपठित आदेश XLIII नियम 1 (आर) सी.पी.सी. के तहत अपील के माध्यम से एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता को भी प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाने के लिए सेवा में लगाया गया है। हालांकि यह सच है कि एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय मौजूद है, यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सकता है जहां आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना है, प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त है, या मन के स्पष्ट गैर-आवेदन को दर्शाता है। प्रस्तुत मामला ऐसे असाधारण मापदंडों के भीतर आता है।

18. इसके अलावा, वाणिज्यिक न्यायालय, एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हुए, मुख्य रूप से वादपत्र में किए गए दावों और उसके साथ दायर दस्तावेजों पर भरोसा किया है, एक स्वतंत्र न्यायिक जांच किए बिना और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के संबंध में कोई संतुष्टि दर्ज किए बिना, सुविधा का संतुलन, और अपूरणीय क्षति, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान को नियंत्रित करने वाली तीन अपरिहार्य पूर्व शर्तें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालांकि वादी के पक्ष में एक पंजीकृत पेटेंट के अस्तित्व और उल्लंघन के कथित कृत्यों का संदर्भ दिया गया है, पेटेंट दावों के दायरे के बारे में कोई चर्चा नहीं है, प्रतिपक्षी के उत्पाद की विशिष्ट विशेषताएं, या प्रथम दृष्टया उल्लंघन स्थापित करने के लिए किसी भी तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में कोई चर्चा नहीं है। दर्ज की गई संतुष्टि, यदि कोई हो, स्पष्ट होने के बजाय निहित प्रतीत होती है और मन के उचित अनुप्रयोग को दर्शाने वाले तर्कपूर्ण आदेश की आवश्यकता से कम होती है, विशेष रूप से एक एकपक्षीय संयम आदेश से उत्पन्न होने वाले गंभीर नागरिक परिणामों से जुड़े मामले में। आक्षेपित आदेश इन मूलभूत आवश्यकताओं पर स्पष्ट रूप से चुप है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है।

19. ऊपर उल्लिखित संचयी कमियों को देखते हुए, तीन गुना परीक्षण पर तर्कपूर्ण निष्कर्षों की अनुपस्थिति, धारा 12ए के तहत तात्कालिकता के संबंध में दर्ज संतुष्टि की कमी, क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों पर विचार न करना, और पर्याप्त तर्क के बिना एक व्यापक एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्रदान करना, यह न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य है कि आक्षेपित आदेशों को कानून की नजर में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

20. तदनुसार, मूल वाद संख्या-2 वर्ष 2026 में वाणिज्यिक न्यायालय, वाराणसी द्वारा पारित दिनांक 13.01.2026 और 14.01.2026 के आक्षेपित आदेश एतद्वारा रद्द/अपास्त किये जाते हैं।

21. मामले को संबंधित वाणिज्यिक न्यायालय को भेज दिया जाता है, जो सभी हितधारकों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, शीघ्रता से, अधिमानतः अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेगा।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पेटेंट उल्लंघन के मुद्दे सहित प्रतिद्वंद्वी दावों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, और ऐसे सभी प्रश्नों को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से, कानून के अनुसार, ऊपर दिए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना निर्णय देने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

23. तदनुसार याचिका की अनुमति दी जाती है।



(न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल)

मार्च 30, 2026

राहुल द्विवेदी/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।